एक दशक की हिसाब किताब !

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

आईबीसी: अमीरों के सलून

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों की सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही का विचार रही है। मीडिया में विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी अतिशयोक्ति सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देती है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावे

1 **कॉर्पोरेट क्षेत्र से बढ़ते एनपीए की वसूली के घोषित उद्देश्य के साथ मई 2016** में संसद में "दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) 2016" पारित किया गया था।

2 यह दावा किया गया था कि यह अधिनियम कॉरपोरेट्स से एनपीए की वसूली में अत्यधिक प्रभावी साबित होगा अन्यथा, इन कॉरपोरेट उधारकर्ताओं को दिवाला का सामना करना पड़ेगा।

3 जून 2020 में एक रोजगार मेले को संबोधित करते हुए, मोदी ने कहा कि बैंकों में जनता की 99% जमा राशि सुरक्षित हो गई है। उन्होंने कहा कि बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

वास्तविकता

1. 2016 से 2023 तक, डिफॉल्टरों के 7325 मामलों को कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) के तहत दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड के तहत स्वीकार किया गया था। **दिसंबर 2023 तक रु. 23.19 लाख करोड़ स्वीकृत हुआ। जिसमें से केवल 3.867 लाख करोड़ की वसूली हुई है या वसूली योग्य है।**

2. **जिन मामलों का समाधान हुआ उनमें रिकवरी दर केवल 32% थी।** जो मामले दिवालिया होने की वजह से समाप्त हो गए, उनमें रिकवरी दर बेहद निराशाजनक, मात्र 5% थी।

3. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरएज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में कुल रिकवरी रेट में गिरावट आई है। **संचयी पुनर्प्राप्ति दर गिरावट की ओर रही है, जो कि Q1FY20 में 43%, Q4FY22 में 32.9% और Q1FY24 में 32% से घट रही है।**

4. यदि 2016 में आरबीआई द्वारा घोषित 12 शुरुआती बड़े टिकट खातों को हटा दिया जाए तो रिकवरी दरें एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। फिर समाधान में समाप्त होने वाले मामलों के लिए रिकवरी **दर औसतन 31.9% से गिरकर 24.4% हो जाती है।**

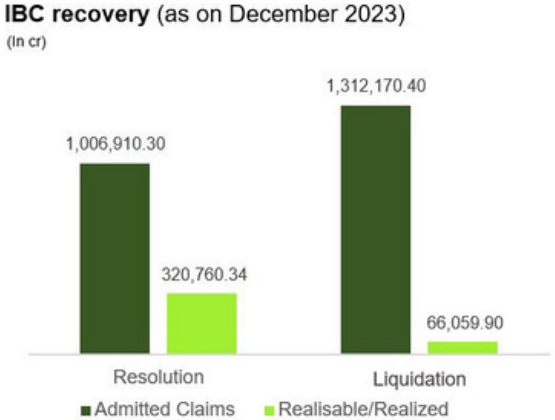

Source: IBBI newsletter

आईबीसी में दिवालियापन मामलों की वास्तविकता संक्षेप में..

बैंक: कंपनी **X** पर हमारा **100** रुपये बकाया है, और अब वह कह रहे हैं कि वे ऋण नहीं चुका सकते**!**
हमें इसे आईबीसी के माध्यम से हल करने की जरूरत है।'

कंपनी **X** : मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और इस बातचीत में जितना अधिक समय लगेगा, मेरी संपत्ति का मूल्य कम होता जाएगा।.

कंपनी **Y:** मैं कंपनी **X** खरीद सकता हूं।
लेकिन इसकी हालत ख़राब है, मैं उनका कर्ज़ चुकाने के लिए **20** रुपये से ज़्यादा नहीं दूँगा।

बैंक: लानत है। **80%** का हेयरकट है।**!**

हेयरकट्स के कारण बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक बैंकों को लगातार भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आईबीसी के तहत स्वीकृत प्रत्येक **100** रुपये के दावे पर बैंकों को औसतन **83** रुपये का नुकसान हुआ।

द मैजिक सैलून: सुविधा का हेयरकट

डीएचएफएल पर 91,000 करोड़ रुपये का एनपीए था. इसे **पीरामल ग्रुप** ऑफ कंपनीज को **60% कटौती** के साथ केवल **37,250 रुपये में बेच** दिया गया।

वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की **71,433 करोड़ रुपये** की एनपीए वाली **13 कंपनियों** को **वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज** (एक खनन दिग्गज जिसने लगातार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है और स्वदेशी लोगों की भूमि को लक्षित किया है) को **2,962 करोड़ रुपये** की मामूली राशि में **बेच दिया** गया।इसकी वजह से बैंकों को **95.85% की कटौती** का सामना करना पड़ा। हेयरकट ने वेदांता को वीडियोकॉन को उसके मूल्य के **5% से भी कम** में खरीदने में सक्षम बनाया।

4863 करोड़ रुपये के एनपीए वाली **शिवा इंडस्ट्रीज को 93.5% की छूट** के साथ **केवल 318 करोड़ रुपये में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)** के माध्यम से अपने ऋणों का निपटान करने की अनुमति दी गई थी।
राशि का भुगतान करने पर, शेष **4,545 करोड़ रुपये माफ कर दिए** जाएंगे और शिवा इंडस्ट्रीज को उसके मुख्य मालिक शिवशंकरन को वापस सौंप दिया जाएगा। उसे सार्वजनिक बैंकों से पहले ही इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी दोबारा ऋण लेने की इजाजत होगी।

जेइसडब्लू और ऐआईओएन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम लिमिटेड ने **74% की भारी कटौती** के बाद **2,892 करोड़ रुपये में मोनेट इस्पात** एंड एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण किया।

29,523 करोड़ रुपये के एनपीए वाली आलोक इंडस्ट्रीज का निपटान केवल **5,052 करोड़ रुपये** में किया गया। इसे **मुकेश अंबानी** की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने **83% हेयरकट** के साथ खरीदा था। इससे **बैंकों को 24,471 करोड़ रुपये** का नुकसान उठाना पड़ा।

जेट एयरवेज़ का एनपीए लगभग **7,807 करोड़** रुपये था, जिसे **82%** की भारी कटौती के साथ केवल **1,375 रुपये** में जालान फ्रिट्च को बेच दिया गया, जिसमें बैंकों को **6,432 करोड़** रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें एसबीआई मुख्य ऋणदाताओं में से एक था।

एस्सार स्टील को आर्सेलर मित्तल ने 17% हेयरकट पर **41,000 करोड़ रुपये में अधिग्रहित** किया था। इस **रिजॉल्यूशन में एसबीआई ने 8,455 करोड़ रुपये के नुकसान** का अनुमान लगाया था.

मुकेश अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस, जो पिछले 4 वर्षों से दिवालिया प्रक्रिया में थी, को यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने **91% की भारी कटौती के साथ 4,400 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया, जिसमें बैंकों को लगभग 44,600 करोड़ रुपये** का **भारी नुकसान** उठाना पड़ा।

टाटा स्टील ने अपनी सहायक शाखा **बामनीपाल स्टील के माध्यम से भूषण स्टील का अधिग्रहण किया, आईबीसी के तहत पहले मामले का समाधान 36% की कटौती पर 35,571 करोड़ रुपये** में पूरा किया, इस समाधान में **एसबीआई को 20,431 करोड़ रुपये** का अनुमानित नुकसान हुआ था।

एमटेक ऑटो लिमिटेड को डेक्कन वैल्यू इन्वेस्टर्स और डीवीआई पीई (मॉरीशस) लिमिटेड द्वारा **80% की भारी कटौती** के साथ **2,615 करोड़ रुपये** में अधिग्रहित किया गया था, **जिसमें बैंकों को 10,026 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था।**

इलेक्ट्रोस्टील लिमिटेड को वेदांता ने 60% की कटौती के साथ 5,320 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया था।

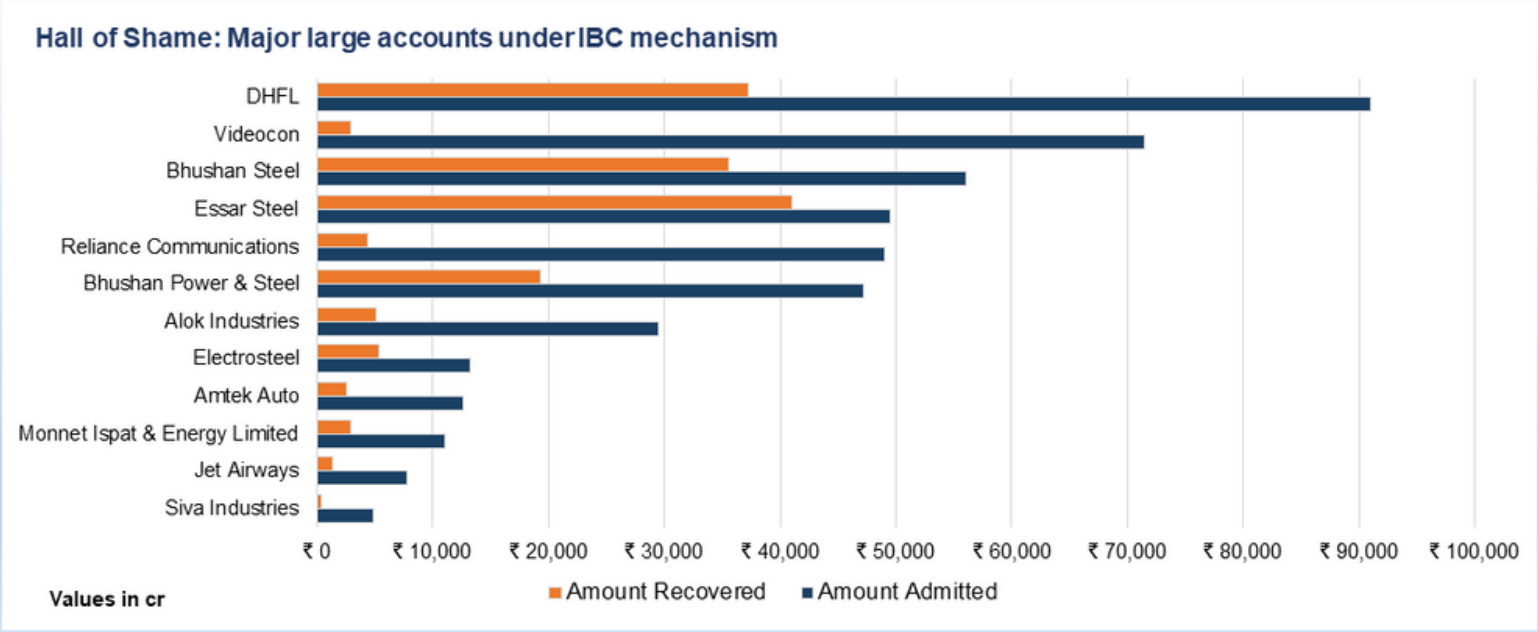

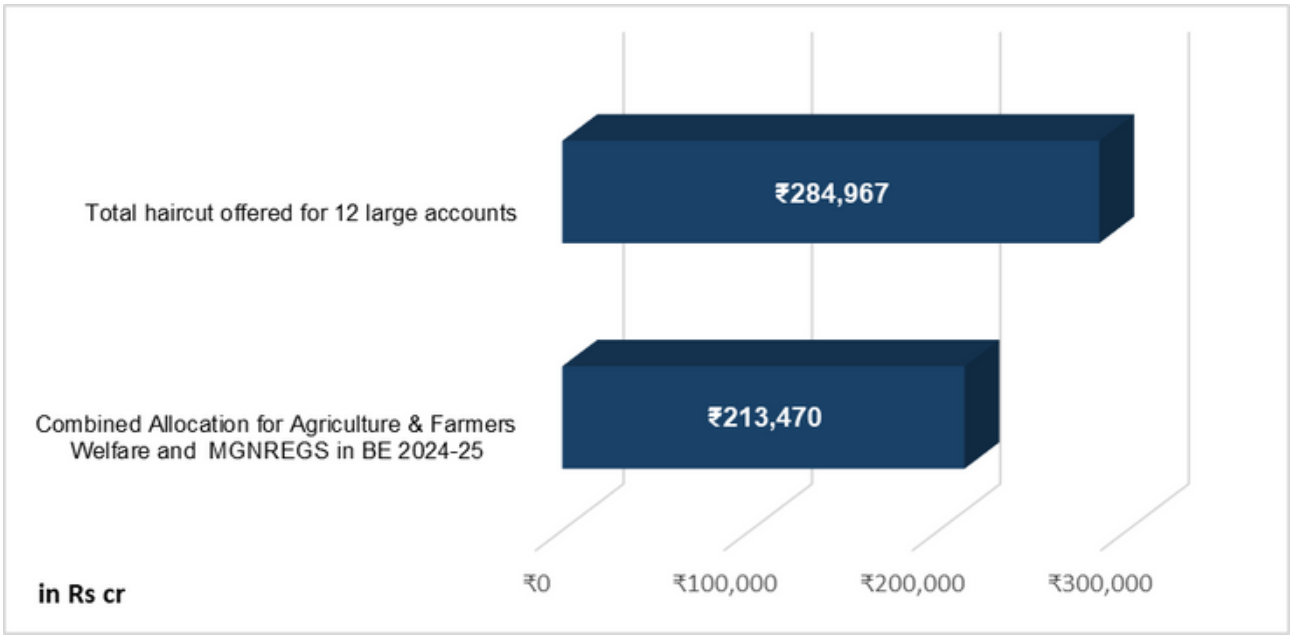

आईबीसी के तहत इन 12 बड़े कॉर्पोरेट खातों को दी जाने वाली कुल कटौती 2.84 लाख करोड़ है, जो 2024-25 के बजट अनुमान में कृषि और किसान कल्याण और नरेगा के लिए 2.13 लाख करोड़ के संयुक्त आवंटन से बहुत अधिक है। यदि यह लिखित राशि वसूल कर ली गई होती तो इनका आवंटन दोगुना कर दिया गया होता।

बंद सीआईआरपी का परिणाम:

- अधिकांश बंद किये गये मामलों का परिसमापन हो चुका है। **दिसंबर 2023 तक, 5426 मामले बंद कर दिए गए और इनमें से 44% का परिसमापन हो गया।**

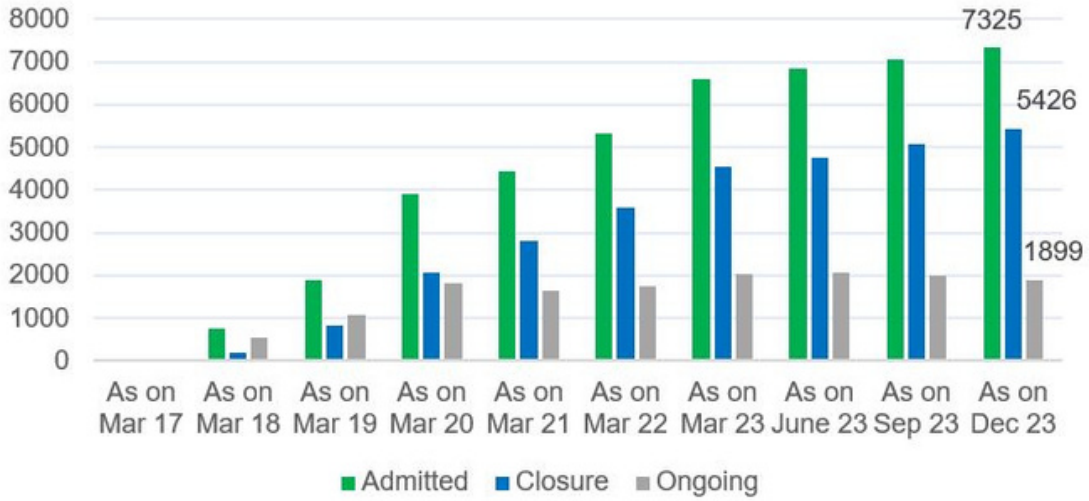

- धारा 12(ए) के तहत वापसी द्वारा बंद किया गया समाधान कुल मामलों का लगभग 19% है। महत्वपूर्ण कटौती पर ओटीएस (एकमुश्त निपटान) के लिए सौदेबाजी करने के लिए अक्सर धारा 12 का दुरुपयोग किया जाता है। 21% और 16% क्रमशः अपील और समाधान द्वारा बंद कर दिए गए हैं।

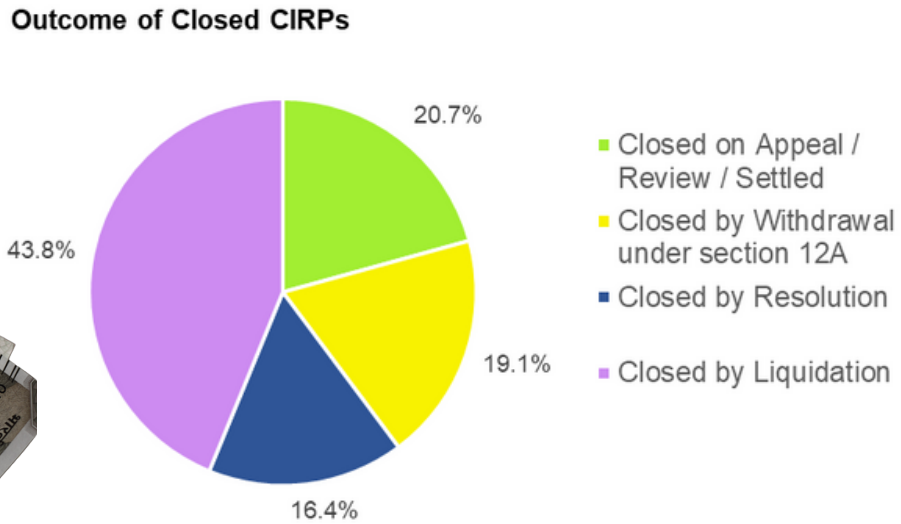

समाधान प्रक्रिया में देरी:

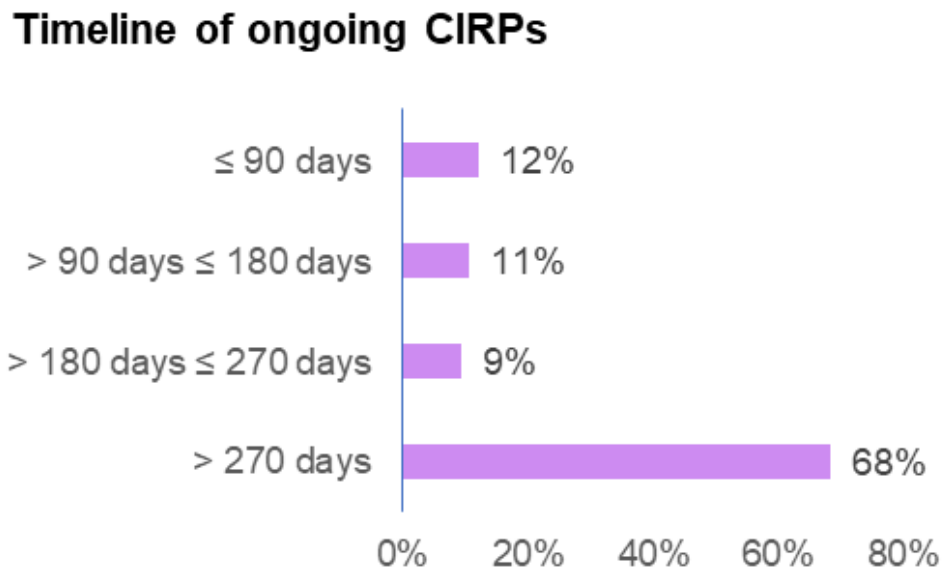

- सरकार का यह दावा भी झूठा है कि आईबीसी से मामलों का तेजी से समाधान होगा।
- आईबीसी के तहत सीमा 330 दिन होने के बावजूद, समाधान का समय औसतन 590 दिन है।
- चल रहे भर्ती मामलों में से 1295 मामले (1899 में से, यानी 68%) 270 दिनों से अधिक समय से चल रहे हैं।
- न्यायिक अधिकारियों की कमी के साथ-साथ ट्रिब्यूनल बेंच में नए सदस्यों की नियुक्ति में देरी ने दिवालियापन के समाधान में देरी को बढ़ा दिया है।
- लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, जनवरी 2023 तक, नेशनल सामान्य लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) बेंच के अधिकार क्षेत्र में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत 12,963 मामले लंबित थे।

जैसा कि सरकार ने दावा किया था, आईबीसी ने जान बूझकर कर्ज न चुकाने वालों और धोखेबाजों को नहीं रोका है। 2018 से 2022 तक विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या में 65% की वृद्धि हुई है, जिनमें 1 करोड़ रुपये से अधिक लोन डिफॉल्ट वाले खाते हैं।

बड़े पैमाने पर कटौती न केवल बैंकों को प्रभावित करती है, बल्कि परिचालन ऋणदाताओं (जैसे एमएसएमई जो विशाल निगमों के लिए पार्ट्स का निर्माण करती है) को भी प्रभावित करती है, यहां तक कि उन्हें आईबीसी प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता है। इससे कई छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को घाटे और यहां तक कि दिवालिया होने का खतरा हो सकता है।

जबकि **कॉरपोरेट्स के लिए करोड़ों रुपये बट्टे खाते** में डाल दिए जाते हैं, लेकिन जब **किसानों के ऋण, शिक्षा ऋण और एमएसएमई के लिए ऋण** की बात आती है, तो वसूली सबसे कड़ी होती है!

हाईलाइट

आईबीसी के कारण बैंकों को होने वाले घाटे का बोझ किस पर पड़ेगा?

यह वह नागरिक है, जिसका पैसा बैंक में जमा है और जिसके टैक्स के पैसे से बैंक चलता है।

आईबीसी और अन्य कारकों के तहत बैंकों के बढ़ते घाटे के कारण, **2010-2015 और 2017-2022 के बीच बैंकों द्वारा एनपीए के लिए प्रावधानित धनराशि लगभग दस गुना बढ़** गई। सार्वजनिक बैंकों के मुनाफ़े का उपयोग सीधे तौर पर IBC हेयरकट्स से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए किया गया।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) पर वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में "वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा असंगत रूप से बड़े और अस्थिर कटौती के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की गई है।"

पैनल ने कहा कि **आईबीसी संसद द्वारा निर्धारित मूल उद्देश्यों से 'विचलित'** हो गया है और बड़े पैमाने पर कटौती, **अत्यधिक देरी और कम वसूली को देखते हुए इसके डिजाइन और कार्यान्वयन पर फिर से विचार** करने की आवश्यकता है।

अन्य रिपोर्ट कार्ड के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:
https://bit.ly/BSofadecade

https://www.fanindia.net
@_FANIndia
Financial Accountability Network
Financial Accountability Network India - FAN India
fanindia.info@gmail.com